

कार्यकारी सार

कोयला मंत्रालय को कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के वैज्ञानिक उपयोग, देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण हेतु नीतियों को निर्धारित करने का समग्र उत्तरदायित्व सौंपा गया है। विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण में कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तीन पीएसयू अर्थात् कोल इंडिया लि.(सीआईएल), नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन(एनएलसी) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.(एससीसीएल) द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों(पीएसयू) का कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संतुलित वृद्धि को देखते हुए कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियां कोलफील्ड क्षेत्रों में विद्यमान कठिन स्थितियों तथा देश की ऊर्जा आवश्यकताओं और कोयला खनन से जुड़ी पर्यावरण अड़चनों के बीच समुचित संतुलन बनाने की आवश्यकता के कारण अड़चनों के बावजूद कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है।

वर्ष 2013-14 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणामी बजट शुरू में आदेश, कार्यों एवं क्रियाकलापों और कोयला मंत्रालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों एवं सांविधिक निकायों के संगठनात्मक ढांचे का परिचय देता है।

उसके बाद, परिणामी बजट कोयला मंत्रालय तथा उसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बजट अनुमानों एवं योजना परिव्यय का ब्यौरा देते हुए कोयला मंत्रालय में प्रचालित योजनागत एवं गैर-योजनागत योजनाओं, दोनों के लिए समय-सीमा के साथ सुपुर्दगी योग्य आपूर्तियों तथा वास्तविक उत्पादनों का भी उल्लेख करता है। कोयला मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियमावली, 2012 को अंतिम रूप दिया है तथा विभिन्न सरकारी कंपनियों और निगमों को 17 कोयला ब्लकों (विद्युत के लिए 14 तथा खनन के लिए 3) की पेशकश की। सीएमपीडीआईएल के ड्रिलिंग कार्यक्रम में संशोधन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पेशकश के लिए पहचान किए गए ब्लकों में विस्तृत अन्वेषण तेजी से करने के उद्देश्य से की गई है। दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि सीआईएल ने उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अपनी खानों में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रकाशित की है। दस्तावेज में इस

मास्टर प्लान के अंतर्गत पुर्नवासित किए जाने वाले परिवारों के लिए जेएनएनआरयूएम मानदंडों के अनुसार आवास इकाइयों का कारपेट एरिया में संशोधन सहित झरिया और रानीगंज के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में भी उल्लेख है। इसके अलावा, परिणामी बजट आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना एवं केप्टिव कोयला ब्लॉक आबंटन स्कीम के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढ़ाने के उपायों से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करता है।

यह दस्तावेज कोयला मंत्रालय के स्वायत्त निकाय-कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करने के अलावा कोयला मंत्रालय द्वारा प्रचालित की जा रही योजना स्कीमों तथा झरिया और रानीगंज कोलफील्डों के लिए मास्टर प्लान सहित पूंजीगत परिव्यय की तुलना में वास्तविक उत्पादन एवं व्यय के हिसाब से सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के पिछले कार्य-निष्पादन की समीक्षा भी प्रस्तुत करता है। परिणामी बजट कोयला मंत्रालय द्वारा बजटीय सहायता से प्रचालित की जा रही छह योजना स्कीमों के बारे में विस्तृत सूचना भी देता है।

पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने और कुल मिलाकर जनता एवं कोयला उपभोक्ताओं की सुगम पहुंच को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) सभी महत्वपूर्ण परिपत्रों एवं नीतियों को कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात क्षेत्रों में विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं के लिए अनुमोदित सभी दीर्घावधि कोयला लिंकेजों की स्थिति और केप्टिव खपत के लिए अनुमोदित अन्त्य उपयोगकर्ताओं को आबंटित/आबंटित किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों के ब्यौरे शामिल हैं।

(ii) कोयला मंत्रालय के बजट अनुमान और अनुदानों की विस्तृत मांगें भी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(iii) मंत्रालय के क्रियाकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की सहायता के लिए मंत्रालय में एक सुविधा केन्द्र प्रचालन में है।

(iv) इसके अलावा, सूचना के प्रचार-प्रसार को सुकर बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों की भी अपनी-अपनी वेबसाइटें हैं।

(v) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोयला मंत्रालय के क्रियाकलापों के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु जनता की सुगम पहुंच को सुकर बनाने के लिए शीर्ष अपीलीय प्राधिकारी के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में होने वाली तिमाही प्रगति बैठकों के माध्यम से कोल इंडिया लि. (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) की प्रमुख कोयला परियोजनाओं की निगरानी की जाती है और जहां कहीं कार्यान्वयन में धीमी गति होती है, तो उसके कारणों का विश्लेषण किया जाता है तथा लक्षित समय-सीमा के अनुसार उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उपचारी उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, कोयला इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों तथा कोयला मंत्रालय के क्रियाकलापों की समीक्षा करते हैं कि नीतियों को भलीभांति क्रियान्वित किया जा रहा है और यदि कमियां सामने आती हैं तो उन्हें प्रभावी ढंग से हल किया जाता है ताकि समग्र नीतिपरक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।